न्यायालयः सुश्री ऋतंभरा राजे न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वितीय श्रेणी, महिदपुर, जिला उज्जैन (म.प्र.)

(निर्णय दिनांक 31.07.2024)

Criminal Case No.892/2022
Registration No./RCT/510/2022
Filling No./RCT/1255/2022
CNR No. MP1309-001587-2022
Filling Date -12/10/2022

प्रथम सूचना रिपोर्ट/अपराध और पुलिस थाने का विवरण
(पुलिस थाना महिदपुर, तहसील महिदपुर, जिला उज्जैन के अपराध क्रमांक—134/2022 अपराध अंतर्गत धारा 279, 337 एवं 338 भा.द.सं. से उद्भूत प्रकरण)

अभियोगी	मध्यप्रदेश शासन द्वारा आरक्षी केन्द्र महिदपुर, जिला उज्जैन (म.प्र.)
प्रतिनिधित्व द्वारा	श्री देवेन्द्र जोशी ए.डी.पी.ओ.

::::::—विरूद्ध—::::::

अभियुक्त	राजेश पिता पुरालाल उम्र 44 साल निवासी ग्राम लोटिया जुनार्दा, तहसील झारडा जिला उज्जैन म.प्र.
प्रतिनिधित्व द्वारा	श्री विनोद जैन अधिवक्ता

मध्यप्रदेश नियम तथा आदेश (आपराधिक) संशोधन 2022 के नियम 238—क (1) के पालन में प्रकरण का सारणीबद्ध विवरण

अपराध की दिनांक	09.04.2022
प्रथम सूचना रिपोर्ट की दिनांक	09.04.2022
अभियोग पत्र प्रस्तुति दिनांक	12.10.2022
आरोप के विरचना की दिनांक	12.07.2023
साक्ष्य प्रारंभ किये जाने की दिनांक	13.02.2024

Ritambhara
31/07/2024
(सुश्री ऋतंभरा राजे)
न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वितीय श्रेणी,
महिदपुर जिला-उज्जैन (म.प्र.)

निर्णय सुरक्षित किये जाने की दिनांक	31.07.2024
निर्णय की दिनांक	31.07.2024
दंडादेश, यदि कोई हो, की दिनांक	—

अभियुक्त का विवरण

अभियुक्त की श्रेणी	अभियुक्त का नाम	गिरफ्तारी की दिनांक	जमानत पर रिहा किये जाने की दिनांक	अपराध जिसका आरोप है	दोषमुक्ति या दोषसिद्धि	अधिरोपित दंडादेश	धारा 428 द.प्र.सं. के प्रयोनार्थ विचारण के दौरान भोगी गई निरोध की अवधि
1.	राजेश	दिनांक 09.04.2022 को धारा 41—क द.प्र.सं. का सूचना पत्र	निरंक	धारा— 279, 337, 338 भादसं.	दोषमुक्त	निरंक	निरंक

अभियोजन / प्रतिरक्षा / न्यायालयीन साक्षियों की सूची

क. अभियोजन

श्रेणी	नाम	साक्ष्य की प्रकृति (चक्षुदर्शी साक्षी, पुलिस साक्षी, विशेषज्ञ साक्षी, चिकित्सी साक्षी, पंच साक्षी एवं अन्य साक्षी)
अ.सा. 1	रामचन्द्र	फरियादी साक्षी
अ.सा. 2	भुवान	आहत साक्षी
अ.सा. 3	अर्जुन	आहत साक्षी
अ.सा. 4	लीलाबाई	चक्षुदर्शी साक्षी
अ.सा. 5	भंवरलाल उर्फ भोमरसिंह	अन्य साक्षी
अ.सा. 6	देवकुंवर	विवेचक साक्षी

ख. प्रतिरक्षा साक्षी, यदि को होः—

श्रेणी	नाम	साक्ष्य की प्रकृति (चक्षुदर्शी साक्षी, पुलिस साक्षी, विशेषज्ञ साक्षी, चिकित्सी साक्षी, पंच साक्षी एवं अन्य साक्षी)
	निरंक	

Ritambhara 31/07/2024
(सुश्री ऋतंभरा राजे)
न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वितीय श्रेणी,
महिदपुर जिला-उज्जैन (म.प्र.)

ग. न्यायालयीन साक्षी, यदि कोई होः—

श्रेणी	नाम	साक्ष्य की प्रकृति (चक्षुदर्शी साक्षी, पुलिस साक्षी, विशेषज्ञ साक्षी, चिकित्सी साक्षी, पंच साक्षी एवं अन्य साक्षी)
	निरंक	

अभियोजन/प्रतिरक्षा/न्यायालयीन प्रदर्शों की सूची

क. <u>अभियोजन</u>

सं.क्रं.	प्रदर्श संख्या	विवरण
1.	प्रदर्श पी 01	प्रथम सूचना रिपोर्ट
2.	प्रदर्श पी 02	नक्शा मौका
3.	प्रदर्श पी 03	पुलिस कथन साक्षी भुवान
4.	प्रदर्श पी 04	पुलिस कथन साक्षी अर्जुन
5.	प्रदर्श पी 05	पुलिस कथन साक्षी लीलाबाई
6.	प्रदर्श पी 06	पुलिस कथन साक्षी भंवरलाल उर्फ भोमरसिंह
7.	प्रदर्श पी 07	जप्ती पंचनामा
8.	प्रदर्श पी 08	जप्ती पंचनामा
9.	प्रदर्श पी 09	धारा 41 द.प्र.सं. का सूचना पत्र
10.	प्रदर्श पी 10	धारा 133 मो.व्ही. एक्ट का सूचना पत्र

ख. प्रतिरक्षा

सं.क्रं.	प्रदर्श संख्या	विवरण
	निरंक	

ग. न्यायालयीन प्रदर्श

सं.क्रं.	प्रदर्श संख्या	विवरण
1.	प्रदर्श सी 01	आहत भुवान की प्रीएमएलसी रिपोर्ट
2.	प्रदर्श सी 02	आहत अर्जुन की प्रीएमएलसी रिपोर्ट
3.	प्रदर्श सी 03	आहत भुवान की एक्सरे रिपोर्ट

31/07/2024

(सुश्री ऋतंभरा राजे)
न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वितीय श्रेणी
महिदपुर जिला-उज्जैन (म.प्र.)

घ. आवश्यक वस्तुएं

सं.क्रं.	भौतिक सामग्री	विवरण
1.	आर्टिकल ए–1	आहत भुवान की एक्सरे प्लेट
2.	आर्टिकल ए–2	आहत भुवान की एक्सरे प्लेट
3.	बस क्रमांक एम.पी.41 पी.0140	दिनांक 11.04.2022 को न्यायालय द्वारा वाहन मालिक भूषण कुमार कालरा को सुपुर्दगी पर प्रदान की गई।

// निर्णय //

।। आज दिनांक–31.07.2024 को घोषित ।।

1. अभियुक्त राजेश पर धारा 279, 337, 338 भा.द.स के अंतर्गत आरोप है कि उसने दिनांक 09.04.2022 को समय 10:00 बजे आरक्षी केन्द्र महिदपुर स्थित कृषि उपज मंडी के सामने महिदपुर लोकमार्ग पर बस क्रं एम.पी.41 पी.0140 को तेजी एवं लापरवाहीपूर्वक तरीके से चलाकर मानव जीवन संकटापन्न किया एवं उक्त वाहन को तेजी एवं लापरवाही को चलाकर आहत भुवान की मोटरसायकल को टक्कर मारकर आहत भुवान एवं उसपर सवार अर्जुन को साधारण एवं आहत भुवान को घोर उपहति कारित की।

2. प्रकरण में यह स्वीकृत तथ्य है कि अभियुक्त की ओर से उसके अधिवक्ता द्वारा धारा 294 द.प्र.स. प्रवाधानो के अंतर्गत अभियोजन की ओर से प्रस्तुत आहत भुवान एवं आहत अर्जुन की प्रीएमएलसी रिपोर्ट एवं आहत भुवान की एक्सरे रिपोर्ट एवं एक्सरे प्लेट्स को स्वीकार किया है। जिसे अभियुक्त राजेश के द्वारा उसके धारा 313 के अंतर्गत किये गये परीक्षण के प्रश्न क्रं 15 के माध्यम से भी स्वीकार किया गया है।

3. अभियोजन का मामला संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक 09.04.2022 को फरियादी रामचन्द्र ने थाना आकर मौखिक रिपोर्ट लेखबद्व करायी कि वह ग्राम असाडी थाना झार्डा में रहता है एवं वह और उसके जीजा भुवानसिंह एवं उनका लडका अर्जुन ग्राम सुरजाखेडी से ग्राम बोलखेडाघाट शादी में जा रहे थे। उसके जीजा तथा अर्जुन एक मोटरसायकल पर थे तथा वह और उसकी बहन लीलाबाई उसकी मोटरसाकयल पर थे उसकी मोटरसायकल से थोडी आगे भुवानसिंह की मोटरसायकल चल रही थी। करीब सुबह 10 बजे कृषि उपज मंडी महिदपुर के सामने हमारे पीछे बस स्टेण्ड तरफ से राधिका बस क्रं एमपी41 पी.0140 का चालक

Ritambhara 31/07/2024
(सुश्री ऋतंभरा राजे)
न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वितीय श्रेणी,
महिदपुर जिला–उज्जैन (म.प्र.)

बस को तेज रफ्तार व लापरवाहीपूर्वक चलाकर लाया और उसके जीजा भुवानसिंह की मोटरसायकल को पीछे से टक्कर मार दी जिससे भुवानसिंह तथा अर्जुन दोनो मोटरसायकल से गिर गये जिससे उसके जीजा भुवानसिंह को बांये पैर व सिर तथा अर्जुन को चेहरे व हाथ में चोट लगी। वह तथा उसकी बहन व भंवरलाल की मदद से भुवानसिंह व अर्जुन को सरकारी अस्पताल भर्ती कराकर थाने में रिपोर्ट करने आया है। फरियादी की रिपोर्ट पर धारा 279, 337 के अंतर्गत अपराध क्रं 134/2022 पंजीबद्व किया गया। विवेचना के दौरान आहत अर्जुन एवं भुवान द्वारा इलाज के दस्तावेज एवं एक्सरे रिपोर्ट पेश करने पर आहत को फैक्चर होने से धारा 338 भादवि का इजाफा किया गया। विवेचना पूर्ण कर अभियुक्त राजेश के विरूद्व अपराध धारा 279, 337 एवं 338 भा.द.सं. के अंतर्गत अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। जिसपर न्यायालय द्वारा धारा 190(1)(ख) के अंतर्गत संज्ञान लिया।

4. अभियुक्त को निर्णय की कंडिका क्रमांक–1 में वर्णित अपराध की विशिष्टिया पढ़कर सुनाए एवं समझाए जाने पर उसने अपराध करना अस्वीकार किया तथा प्रतिरक्षा चाही। द.प्र.सं. की धारा 313 के अधीन किये गये अपने परीक्षण में उसने अभियोजन साक्ष्य की सत्यता से इंकार करते हुये स्वंय को निर्दोष होना एवं इस मामले में झूठा फंसाया जाना बताया है।

5. **प्रकरण में समुचित निराकरण हेतु न्यायालय के समक्ष निम्नलिखित विचारणीय बिन्दु हैं :–**

(1) क्या अभियुक्त ने दिनांक 09.04.2022 को समय 10:00 बजे आरक्षी केन्द्र महिदपुर स्थित कृषि उपज मंडी के सामने महिदपुर लोकमार्ग पर बस क्रं एम.पी. 41 पी.0140 को तेजी एवं लापरवाहीपूर्वक तरीके से चलाकर मानव जीवन संकटापन्न किया ?

(2) क्या अभियुक्त ने उक्त दिनांक समय व स्थान पर उक्त वाहन को उपेक्षापूर्वक एवं उतावलेपन से चलाकर आहत भुवान की मोटरसायकल को टक्कर मारकर उसके चालक आहत भुवान एवं उसपर सवार आहत अर्जुन को साधारण उपहति कारित की?

(3) क्या अभियुक्त ने उक्त दिनांक समय व स्थान पर उक्त वाहन को उपेक्षापूर्वक एवं उतावलेपन से चलाकर आहत की मोटरसायकल को टक्कर मारकर आहत भुवान को घोर उपहति कारित की?

<u>निष्कर्ष एवं आधार</u>

<u>विचारणीय बिन्दु क्रमांक 1, 2 व 3</u>

6. उक्त तीनो विचारणीय बिन्दु एक दूसरे से संबंधित होने एवं साक्ष्य में

Ritambhara
31/07/2024
(सुश्री ऋतंभरा राजे)
न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वितीय श्रेणी,
महिदपुर जिला-उज्जैन (म.प्र.)

समानता होने से साक्ष्य की पुनर्रावृत्ति को निवारित करने के आशय से उक्त तीनो विचारणीय बिन्दु का निराकरण एक साथ किया जा रहा है। अभियोजन ने अपने पक्ष समर्थन में साक्षी रामचन्द्र (अ0सा0—1), साक्षी भुवान (अ0सा0—2), साक्षी अर्जुन (अ0सा0—3), साक्षी लीलाबाई (अ0सा0—4), साक्षी भंवरलाल उर्फ भोमरसिंह (अ0सा0—5) साक्षी देवकुंवर (अ0सा0—6) के कथन न्यायालय में कराये।

7. फरियादी रामचन्द्र (अ0सा0—1) ने अपने मुख्यपरीक्षण में सारवान रूप से यह कथन किये है कि वह आरोपी राजेश को नही जानता है। घटना दिनांक 09.04.2021 की होकर कृषि उपज मंडी महिदपुर के सामने की सुबह 10 बजे की है। घटना दिनांक को आहत भुवान उसकी पत्नी एवं उसके बेटे अर्जुन के साथ ग्राम सुरजाखेडी से ग्राम बोलखेडाघाट मोटरसायकल से शादी में जा रहा था फिर उनकी गाडी का एक्सीडेंट हो गया था वह उनसे पीछे आ रहा था। जब वह घटनास्थल पर पहुंचा तब तक आहत भुवान उसकी पत्नी एवं बेटे अर्जुन को सरकारी अस्पताल महिदपुर में भर्ती करा दिया गया था उसे यह जानकारी नहीं है कि उन्हे किसने अस्पताल में भर्ती कराया था फिर उसने आहत भुवान उसकी पत्नी व बेटे अर्जुन को महिदपुर अस्पताल से उज्जैन अस्पताल पहुंचा दिया था। घटना के बाद थाने वाले घटना स्थल पर आ गये थे उसके बाद उसने घटना की रिपोर्ट महिदपुर थाना में दर्ज करायी थी जो **प्रपी 1** है एवं पुलिस ने उसकी निशानदेही से घटनास्थल का नक्शा मौका बनाया था जो **प्रपी 2** है। साक्षी ने प्रपी 1 एवं प्रपी 2 पर अपने हस्ताक्षर सम्यक् रूप से प्रमाणित किये है।

8. उक्त साक्षी को अभियोजन द्वारा पक्षद्रोही घोषित कर प्रतिपरीक्षण में पूछे जाने योग्य प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने उत्तर दिया कि उसे याद नहीं है कि घटना किस वर्ष की है। साक्षी ने यह स्वीकार किया कि घटना दिनांक को वह जब महिदपुर कृषि उपज मंडी पर पहुचा तो बस स्टेण्ड तरफ से राधिका बस आ रही थी जिसने उसके जीजा आहत भुवान की मोटरसायकल को पीछे से टक्कर मारी। साक्षी ने व्यक्त किया कि उसे जानकारी नही है कि जिस बस से उसके जीजा की मोटरसायकल की टक्कर हुई थी उसका नंबर एमपी41 पी0140 था। साक्षी ने आगे कहा कि वह भुवान की मोटरसायकल से लगभग 5—6 किलोमीटर पीछे था इसलिये यह नही बता सकता कि बस कैसे चलकर आ रही थी। उक्त साक्षी ने अपने प्रतिपरीक्षण में इस सुझाव को अस्वीकार किया है कि आहत भुवान की पत्नी उसकी मोटरसायकल पर बैठी थी ऐसा उसने प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रपी 1 में लिखाया है। साक्षी ने यह स्वीकार किया कि उसके सामने कोई घटना नहीं हुई थी और उसने पुलिस के कहने से रिपोर्ट लिखायी थी।

9. भुवान (अ0सा0—2) के अभिकथन है कि वह आरोपी राजेश को नही जानता है। घटना उसके न्यायालयीन कथन से लगभग दो ढाई वर्ष पुरानी होकर दिनांक 09 अप्रैल की है। घटना दिनांक को वह अपनी पत्नी एवं बेटे के साथ सुबह

Ritambhara
31/07/2024
(सुश्री ऋतंभरा राजे)
न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वितीय श्रेणी,
महिदपुर जिला-उज्जैन (म.प्र.)

करीबन 9—10 बजे ग्राम सुरजाखेडी से ग्राम बोलखेडाघाट मोटरसायकल से शादी में जा रहा था। जब वह महिदपुर थाने के सामने पहुंचा तब वह बस के साथ—साथ अपनी मोटरसायकल चला रहा था जैसे ही उसने बस से आगे निकलने की कोशिश की तभी बस वाले ने बस उसकी तरफ मोड दी जिससे उसकी मोटरसायकल को टक्कर लग गयी। उसे जानकारी नही है कि बस का नाम एवं नंबर क्या था। टक्कर लगने से वह और उसकी पत्नी एवं बेटा मोटरसायकल से गिर गये जिससे उसे पैर में चोट आयी। साक्षी ने न्यायालय के समक्ष उसके दाहिने पैर की तरफ इशारा करते हुये चोट दिखाने का प्रयास किया। उसके बाद उसे महिदपुर अस्पताल में भर्ती कराया गया जहां से उसे उज्जैन के रॉयल भगवती अस्पताल में आगे के इलाज हेतु भेजा गया था। उसे जानकारी नही है कि घटना स्थल पर किन—किन लोगो ने घटना देखी। उक्त साक्षी को अभियोजन द्वारा पक्षद्रोही घोषित कर प्रतिपरीक्षण में पूछे जाने योग्य प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी का कहना है कि उसे याद नहीं है कि घटना किस वर्ष की है परंतु घटना दिनांक 09 अप्रैल की है। उसे यह याद नही है कि जिस बस से उसकी टक्कर हुयी थी वह राधिका बस थी और उसका क्रमांक एमपी 41 पी0140 था, बस धीरे धीरे चलकर आ रही थी। साक्षी को उसके पुलिस कथन **प्रपी 3** पढकर सुनाये जाने पर साक्षी ने उक्त कथन पुलिस को देने से इंकार किया। उक्त साक्षी ने अपने प्रतिपरीक्षण में यह अस्वीकार किया है कि उसके साथ कोई घटना नहीं हुई।

10. अर्जुन (अ0सा0—3) की अभिसाक्ष्य है कि वह आरोपी राजेश को नही जानता है। उसे याद नही है कि घटना कितने वर्ष पुरानी है। घटना दिनांक को वह उसके पिताजी भुवान के साथ ग्राम सुरजाखेडी से ग्राम बोलखेडाघाट मोटरसायकल से शादी में जा रहा था तब लगभग दोपहर 12—1 बजे उसका एक्सीडेंट मोती बस से पुलिस थाना महिदपुर के पास हो गया था। बस वाला धीरे धीरे बस को बढा रहा था तभी उसकी मोटरसायकल से टक्कर लग गयी थी जिससे उसे दोनो हाथो की कलाई, गाल एवं माथे पर चोट आयी थी। साक्षी ने अपने दोनो हाथो की कलायीयां माथे एवं गाल पर आयी चोटो की तरफ इशारा करते हुये चोट दिखाने की कोशिश की। उसके बाद उन्हे इलाज हेतु सरकारी अस्पताल महिदपुर ले जाया गया एवं वहां से वह उज्जैन अस्पताल गये। उक्त साक्षी को अभियोजन द्वारा पक्षद्रोही घोषित कर प्रतिपरीक्षण में पूछे जाने योग्य प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी का कहना है कि उसे याद नहीं है कि घटना किस वर्ष की है। जब वह कृषि उपज मंडी महिदपुर के पास पहुंचे तो बस पीछे से आ रही थी, बस ने थोडा सा काटा और टक्कर हो गयी। साक्षी ने यह तथ्य अस्वीकार किया कि जिस बस से उसकी टक्कर हुयी थी वह राधिका बस थी स्वतः कहा कि बस का नाम मोती था। साक्षी ने आगे व्यक्त किया कि उसे नही पता कि बस का नंबर एमपी 41 पी0140 था। साक्षी ने प्रपी 4 के कथन पुलिस को देने से इंकार किया। उक्त साक्षी ने अपने प्रतिपरीक्षण में यह अस्वीकार किया है कि उसके साथ कोई घटना नहीं हुई।

Ritambhara
31/07/2024
(सुश्री ऋतंभरा राजे)
न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वितीय श्रेणी,
महिदपुर जिला-उज्जैन (म.प्र.)

11. लीलाबाई (अ0सा0—4) के अभिसाक्ष्य है कि वह आरोपी राजेश को नही जानती है। उसे याद नहीं है कि घटना कब की है पर घटना उसके न्यायालयीन कथन से लगभग ढाई वर्ष पुरानी है। घटना दिनांक को सुबह 9 बजे वह, उसके पति एवं उसका पुत्र मोटरसायकल से ग्राम सुरजाखेडी से ग्राम बोलखेडाघाट मोटरसायकल से शादी में जा रहा थे। जब वह महिदपुर थाने के सामने पहुंचे तो बस वाले ने बस एकदम से काटी और उनकी मोटरसायकल में टक्कर मारी। जिसके बाद वह महिदपुर अस्पताल इलाज हेतु गये वहां से उन्हे उज्जैन अस्पताल रैफर कर दिया था। उक्त साक्षी को अभियोजन द्वारा पक्षद्रोही घोषित कर प्रतिपरीक्षण में पूछे जाने योग्य प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने इस बात को अस्वीकार किया कि जिस बस ने उसे टक्कर मारी वह राधिका बस थी स्वतः कहाकि मोती बस थी। उसे जानकारी नही है कि जिस बस ने उन्हे टक्कर मारी उसका नंबर एमपी 41 पी0140 था। बस धीरे धीरे चलकर आ रही थी। साक्षी को उसके पुलिस कथन **प्रपी 5** पढकर सुनाये जाने पर साक्षी ने उक्त कथन पुलिस को देने से इंकार किया। उक्त साक्षी ने अपने प्रतिपरीक्षण में यह अस्वीकार किया है कि वह जो घटना होना बता रही है वह झूठ है और उसके साथ कोई घटना नहीं हुई।

12. भंवरलाल (अ0सा0—5) के अभिसाक्ष्य है कि वह आरोपी राजेश को नही जानता है। उसे घटना के बारे में कोई जानकारी नहीं है। उसने अस्पताल में देखा था कि उसके मामा जी भुवान जी को पैर में चोट आयी है। उक्त साक्षी को अभियोजन द्वारा पक्षद्रोही घोषित कर प्रतिपरीक्षण में पूछे जाने योग्य प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने इस बात को अस्वीकार किया कि वह घटना दिनांक को अपने मामा भुवान के साथ शादी में ग्राम बोलखेडाघाट जा रहा था। उसे यह जानकारी नही है कि जिस बस ने उसके मामा जी को टक्कर मारी वह राधिका बस थी स्वतः कहाकि मोती बस थी। उसे यह जानकारी नही है कि जिस बस ने उसके मामा भुवान को टक्कर मारी उसका नंबर एमपी 41 पी0140 था। साक्षी को उसके पुलिस कथन **प्रपी 6** का ए से ए भाग पढकर सुनाये जाने पर साक्षी ने उक्त कथन पुलिस को देने से इंकार किया। उक्त साक्षी ने अपने प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया है कि उसके सामने कोई घटना नहीं हुई थी परंतु यह अस्वीकार किया कि उसके मामा जी को चोट आने के संबंध में झूठे बयान दे रहा है।

13. देवकुंवर (अ0सा0—6) के अभिसाक्ष्य है कि उसके दिनांक 09.04.2022 को थाना महिदपुर सिटी पर प्रधान आरक्षक के पद पर पदस्थ रहने के दौरान उसे अपराध कं 134/2022 की डायरी विवेचना हेतु प्राप्त हुई थी। विवेचना के दौरान उसके द्वारा साक्षी भंवरलाल, अर्जुन, लीलाबाई, भुवान, के कथन उनके कहे अनुसार लेखबद्व किये गये थे। उक्त दिनांक को ही उसके द्वारा घटना स्थल पर जाकर फरियादी रामचन्द्र की निशानदेही से घटना स्थल का नक्शा मौका **प्रपी 2** बनाया था जिसपर साक्षी ने अपने हस्ताक्षर सम्यक् रूप से प्रमाणित किये। उक्त दिनांक को

31/07/2024
(सुश्री ऋतंभरा राजे)
न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वितीय श्रेणी,
महिदपुर जिला-उज्जैन (म.प्र.)

ही उसके द्वारा साक्षी सुरेश एवं नागेश्वर के समक्ष आरोपी राजेश के पेश करने पर एक नीले व हरे रंग की बस जिसपर सामने लाल रंग से अंग्रेजी में राधिका एवं हिन्दी में कुलदेवी लिखा था जिसका रजिस्ट्रेशन क्रं एमपी41 पी0140 था जप्त कर जप्ती पंचनामा **प्रपी 7** एवं फरियादी रामचन्द्र द्वारा पेश करने पर आहत भुवानसिंह के लेफ्ट लेग की एक्सरे प्लेट व रिपोर्ट साक्षी नागेश्वर एवं गोपाल के समक्ष जप्त कर जप्ती पंचनामा **प्रपी 8** बनाया था। प्रपी 7 एवं 8 पर साक्षी ने अपने हस्ताक्षर सम्यक् रूप से प्रमाणित किये। उक्त दिनांक को ही उसके द्वारा अभियुक्त राजेश पिता पुरालाल को धारा 41 द.प्र.सं. का सूचना पत्र **प्रपी 9** दिया गया था जिसके ए से ए भाग पर साक्षी ने अपने हस्ताक्षर प्रमाणित किये एवं बी से बी भाग पर आरोपी राजेश के हस्ताक्षर होना बताया।

14. उक्त साक्षी के आगे यह अभिकथन है कि घटना दिनांक को ही उसके द्वारा वाहन मालिक भूषण कालरा को धारा 133 मो.व्ही. एक्ट के तहत सूचना पत्र दिया था जो **प्रपी 10** है जिसके ए से ए भाग पर साक्षी ने अपने हस्ताक्षर प्रमाणित किये एवं बी से बी भाग पर वाहन मालिक के हस्ताक्षर होना बताया। साक्षी ने आगे व्यक्त किया कि प्रथम सूचना रिपोर्ट उपनिरीक्षक रामचन्द्र दलोदिया द्वारा लेखबद्व की गई है उसने उनके साथ कार्य किया है इसलिये उनके हस्ताक्षर पहचानती है। उक्त साक्षी ने अपने प्रतिपरीक्षण में यह अस्वीकार किया है कि बस क्रं एमपी41 पी0140 से घटना होने के संबंध में कोई रिपोर्ट किसी ने नही की थी तथा उसके द्वारा अपराध को ढकने के लिये उक्त वाहन को जबरन लिप्त किया गया।

15. अभिलेख पर आये संपूर्ण साक्ष्य का अवलोकन किया गया।

16. आहत भुवान एवं अर्जुन को आयी चोटो के संबंध में यह उल्लेखनीय है कि द.प्र.सं. की धारा 294 के अंतर्गत अभियुक्त के अधिवक्ता द्वारा दिनांक 10.07.2024 को आहत भुवान एवं अर्जुन की प्रीएमएलसी रिपोर्ट प्रसी–1 एवं प्रसी–2 एवं आहत भुवान की एक्सरे रिपोर्ट प्रसी–3 एवं एक्सरे प्लेट्स आर्टिकल ए–1 एवं आर्टिकल ए–2 को स्वीकार किया है। जिसे अभियुक्त राजेश के द्वारा उसके धारा 313 के अंतर्गत किये गये परीक्षण के प्रश्न क्रं 15 के माध्यम से भी स्वीकार किया गया है।

17. आहत को आयी चोटो के संबंध में आहत भुवान (अ0सा0–2) ने अपने मुख्य परीक्षण में यह व्यक्त किया है कि टक्कर लगने से वह उसकी पत्नी एवं बेटा मोटरसायकल से गिर गये जिससे उसे पैर में चोट आयी। उसके बाद उसे महिदपुर अस्पताल में भर्ती कराया गया जहां से उसे उज्जैन के रॉयल भगवती अस्पताल में आगे के इलाज हेतु भेजा गया था। साक्षी द्वारा न्यायालय के समक्ष उसके दाहिने पैर की तरफ इशारा करते हुये चोट दिखाने का प्रयास किया गया था। उक्त संबंध में आहत अर्जुन (अ0सा0–3) ने अपने मुख्य परीक्षण में यह कथन किया है कि उसके

Ritambhara 31/07/2024
(सुश्री ऋतंभरा राजे)
न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वितीय श्रेणी,
महिदपुर जिला-उज्जैन (म.प्र.)

पिताजी भुवान को मोटरसायकल की टक्कर लगने से उसे दोनो हाथो की कलाई, माथे एवं गाल पर चोट आयी थी। उसके बाद उसे महिदपुर अस्पताल में भर्ती कराया गया जहां से उसे उज्जैन के रॉयल भगवती अस्पताल में आगे के इलाज हेतु भेजा गया था। साक्षी द्वारा न्यायालय के समक्ष उसके दोनो हाथो की कलाई, माथे एवं गाल पर आयी चोट की तरफ इशारा करते हुये चोट दिखाने का प्रयास किया गया। उक्त साक्षीगण की उन्हे चोट लगने से संबंधित साक्ष्य उनके प्रतिपरीक्षण में अखंडनीय रही है। प्रकरण में आहत भुवान एवं अर्जुन की मेडिकल रिपोर्ट दिनांक 09.04.2022 की है और वर्तमान प्रकरण में घटना भी 09.04.2022 की है। ऐसी स्थिति में आहतगण को आयी चोटे घटना के समकालीन होने से घटना का परिणाम होना संभावित है। अतः अभिलेख पर आयी उपरोक्त समस्त साक्ष्य के आधार पर प्रकरण में यह प्रमाणित होता है कि घटना दिनांक को आहत अर्जुन को साधारण उपहति एवं आहत भुवान को घोर उपहति कारित हुई थी।

18. अब यदि इस बिन्दु पर विचार किया जाये कि क्या आहतगण को आयी उपरोक्त चोटे अभियुक्त राजेश के द्वारा जप्तशुदा वाहन बस क्रं एमपी41 पी.0140 को उपेक्षा एवं उतावलेपन से चलाकर कारित की गई है। अभियोजन द्वारा परीक्षित किसी भी चक्षुदर्शी साक्षी द्वारा अभियुक्त एवं प्रश्नगत वाहन को नही पहचाना गया है। फरियादी रामचंद्र (अ0सा0—1) ने अपने मुख्य परीक्षण में स्पष्ट रूप से व्यक्त किया है कि जब वह घटना स्थल पर पहुंचा तब तक आहत भुवान, उनकी पत्नी एवं बेटे अर्जुन को सरकारी अस्पताल महिदपुर में भर्ती करा दिया गया था। उक्त साक्षी ने सूचक प्रश्न पूछे जाने पर उसने यह भी स्वीकार किया है कि वह आहत भुवान की मोटरसायकल से 5—6 किलोमीटर पीछे चल रहा था। साक्षी की उक्त साक्ष्य से स्पष्ट होता है कि वह घटना का चक्षुदर्शी साक्षी नही है उसने घटना होते हुये नही देखी है।

19. आहतगण भुवान (अ0सा0—2) एवं अर्जुन (अ0सा0—3) ने अपने मुख्य परीक्षण में स्पष्ट रूप से अभियुक्त राजेश को पहचानने से इंकार किया एवं व्यक्त किया है कि उन्हे जानकारी नही है कि बस का नाम एवं नंबर क्या था। लीलाबाई (अ0सा0—4) से प्रतिपरीक्षण में पूछे जाने योग्य प्रश्न पीछे जाने पर उक्त साक्षी ने भी यह व्यक्त किया है कि उसे जानकारी नही है कि जिस बस ने उसे टक्कर मारी थी उसका नंबर एमपी41 पी.0140 था। अभियोजन साक्षी भंवरलाल उर्फ भोमरसिंह (अ0सा0—5) पूर्ण रूप से पक्षद्रोही रहा है उसने अभियोजन मामले का किंचित मात्र भी समर्थन नहीं किया है। उक्त साक्षी ने अपने प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया है कि उसके सामने कोई घटना नही हुई थी। जप्ती पत्रक प्रपी 7 के अनुसार प्रश्नगत वाहन बस क्रं एमपी41 पी.0140 थाना महिदपुर पर अभियुक्त राजेश द्वारा पेश करने पर जप्त की गई है जबकि घटना कृषि उपज मंडी महिदपुर के सामने की है। जप्तशुदा वाहन को घटना स्थल से जप्त नहीं किया गया है। अभियोजन की ओर से

31/07/2024
(सुश्री ऋतंभरा राजे)
न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वितीय श्रेणी,
महिदपुर जिला-उज्जैन (म.प्र.)

परीक्षित किसी भी चक्षुदर्शी साक्षी द्वारा घटना स्थल पर जप्तशुदा वाहन के चालक को वाहन चलाते हुये नही देखा गया है। अभियोजन साक्षीगण द्वारा वाहन नंबर की पहचान भी सुनिश्चित नही की गई है।

20. अनुसंधान अधिकारी प्रधान आरक्षक देवकुंवर असा–6 ने अनुसंधान के द्वारा वाहन स्वामी भूषण कालरा को धारा 133 मोटरयान अधिनियम का सूचना पत्र प्रपी 10 जारी करना व्यक्त किया है। प्रपी 10 के अवलोकन से वाहन स्वामी द्वारा जप्तशुदा वाहन घटना दिनांक को घटना के समय अभियुक्त राजेश द्वारा चलाये जाने की सूचना देना दर्शित होता है। वाहन स्वामी द्वारा पुलिस अधिकारी को धारा 133 मोटरयान अधिनियम के सूचना पत्र पर दी गई जानकारी प्रायः धारा 161 द.प्र. सं. के अधीन पुलिस को साक्षी द्वारा दिये गये बयान से अधिक कोई प्रभाव नही रखती है। मात्र इसके आधार पर अभियुक्त के विरूद्व इस संबंध में कोई निष्कर्ष नहीं दिया जा सकता है कि वह घटना दिनांक को जप्तशुदा वाहन चला रहा था। अभियोजन द्वारा वाहन स्वामी भूषण कालरा पिता सीताराम कालरा का परीक्षण भी न्यायालय में नहीं कराया गया है। ऐसी स्थिति में प्रपी 10 का दस्तावेज वाहन चालक की जानकारी स्थापित करने के लिये पर्याप्त नहीं माना जा सकता।

21. वाहन के उतावलेपन व उपेक्षापूर्वक चलाये जाने के बिन्दु पर विचार किया जाये तो अभिलेख पर उपलब्ध घटना स्थल का नक्शा मौका प्रपी 2 के अवलोकन से यह प्रकट होता है कि भीमाखेडा आम रोड पर जिस लाल रंग से चिन्हित स्थान पर घटना होना दर्शाया गया है, वह महिदपुर बस स्टेण्ड की तरफ से आने वाले रास्ते के बांयी ओर है। अभियोजन मामले के अनुसार प्रश्नगत वाहन द्वारा आहतगण की मोटरसायकल को पीछे से टक्कर मारी गई है। प्रकरण में यह भी उल्लेखनीय है कि आहत भुवान (अ0सा0–2) ने अपने मुख्य परीक्षण में यह स्पष्ट रूप से व्यक्त किया है कि वह बस के साथ–साथ अपनी मोटरसायकल चला रहा था जैसे ही उसने बस से आगे निकलने की कोशिश की तभी बस वाले ने बस उसकी तरफ मोढ दी। भीमाखेडा रोड सिंगल रोड है जिसमें ओव्हर टेंकिग लेन राईट साईड होता है परंतु प्रपी 2 के नक्शा मौका में घटना स्थल उक्त रोड के बांयी ओर का होना दर्शाया गया है ऐसी स्थिति में उपरोक्त साक्ष्य से यही दर्शित होता है कि आहत भुवान द्वारा बस को लेफ्ट (रॉन्ग साईड) से ओव्हर टेक करने की कोशिश की गई थी तब यह निष्कर्ष देना कि बस वाहन क्रं एमपी41 पी.0140 के चालक के उतावलेपन एवं उपेक्षापूर्वक आचरण से दुघर्टना हुई थी, असंभावित हो जाता है। अतः उपरोक्त संपूर्ण विवेचना के आधार पर यह युक्तियुक्त संदेह के परे प्रमाणित नहीं होता है कि जप्तशुदा वाहन घटना दिनांक को अभियुक्त के द्वारा ही चलाया जा रहा था एवं अभियुक्त द्वारा उक्त वाहन को उतावलेपन व उपेक्षापूर्वक चलाया गया था।

Ritambhara
31/07/2024
(सुश्री ऋतंभरा राज)
न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वितीय श्रेणी,
महिदपुर जिला-उज्जैन (म.प्र.)

अंतिम आदेश

22. प्रकरण की परिस्थितियों, अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य तथा विचारणीय बिन्दुओं पर प्राप्त निष्कर्ष को दृष्टिगत रखते हुए इस न्यायालय का यह समाधान है कि अभियोजन अभियुक्त राजेश के विरूद्ध यह युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित करने में असफल रहा है कि अभियुक्त राजेश ने वाहन बस कमांक एम.पी.41 पी. 0140 को उतावलेपन एवं उपेक्षापूर्वक चलाकर मानवजीवन संकटापन्न किया एवं उक्त वाहन को उपेक्षापूर्वक एवं उतावलेनपन से चलाकर आहत भुवान की मोटरसायकल को टक्कर मारकर आहत अर्जुन को साधारण तथा आहत भुवान को घोर उपहति कारित की। **परिणामस्वरूप अभियुक्त राजेश पिता पुरालाल उम्र 44 साल निवासी ग्राम लोटिया जुनार्दा, तहसील झारडा जिला उज्जैन म.प्र. को भा0द0सं0 की धारा 279, 337, 338 के अधीन दण्डनीय अपराध के आरोपों से दोषमुक्त कर इस प्रकरण से स्वतंत्र किया जाता है।**

23. अभियुक्त द्वारा प्रस्तुत प्रतिभूति–पत्र व बंधपत्र उन्मोचित किए जाते हैं।

24. अभियुक्त अनुसंधान तथा विचारण के दौरान निरोध अवधि में नहीं रहा है। इस संबंध में दं0प्र0सं0 की धारा 428 के अधीन पृथक से प्रमाणपत्र बनाया जाए।

25. प्रकरण में वाहन बस कमांक एम.पी.41 पी.0140 वाहन स्वामी भूषण कुमार कालरा पिता सीताराम आयु 35 वर्ष निवासी नारायणा रोड महिदपुर जिला उज्जैन म.प्र. को अंतरिम सुपुर्दगी पर प्रदान किया गया था। सुपुर्दनामा अपील अवधि पश्चात् वाहन मालिक के पक्ष में भारहीन समझा जावे। अपील होने की दशा में मान्नीय अपीलीय न्यायालय के निर्देशानुसार सम्पत्ति का व्ययन किया जाए।

स्थान–महिदपुर

दिनांक 31.07.2024

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित, दिनांकित कर पारित किया गया।

Ritambhara 31/07/2024

(सुश्री ऋतंभरा राजे)
न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वितीय श्रेणी,
महिदपुर, जिला उज्जैन (म.प्र.)

मेरे उद्बोधन पर टंकित किया।

Ritambhara 31/07/2024

(सुश्री ऋतंभरा राजे)
न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वितीय श्रेणी,
महिदपुर, जिला उज्जैन (म.प्र.)

न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वितीय श्रेणी, महिदपुर जिला उज्जैन (म.प्र.)